उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के प्रति हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति की क्षति के निवारण एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

चूँकि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति और खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं जिससे चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष पैदा हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं ;

और चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे हिंसक कृत्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाते हुए उन्हें रोकना आवश्यक हो गया है;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 20 मई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) "चिकित्सा परिचर्या सेवा" का तात्पर्य, शिशु जन्म से संबंधित प्रसवपूर्व और प्रसवोपरान्त देखभाल या उससे संबंधित कोई भी बात, या किसी बीमारी, चोट या अंग शैथिल्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, से ग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी रूप में परिचर्या एवं देखरेख को सम्मिलित करते हुए चिकित्सीय उपचार और देखभाल उपलब्ध कराने के कृत्य से है;

(ख) "चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था" का तात्पर्य मेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किसी चिकित्सालय, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाय, या लोगों को चिकित्सा परिचर्या सेवा उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य संस्थाओं से है, जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम, क्लीनिक और प्रसूति केन्द्र द्वारा स्थापित और प्रबन्धित हो या नियंत्रणाधीन हो और उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत हो;

(ग) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के संबंध में "चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी" का तात्पर्य अनन्तिम पंजीकरण धारक को सम्मिलित करते हुए किसी पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार से है और इसमें ऐसी संस्था में नियोजित और कार्यरत कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(घ) "हिंसा" का तात्पर्य ऐसे क्रिया कलापों से है जो चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में या उसके बाहर कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी को कोई हानि पहुँचाने, क्षति पहुँचाने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या बाधा पहुँचाने वाले हों;

(ङ) "सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति, स्थावर हो या जंगम, चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा यन्त्र सामग्री से है जो किसी चिकित्सा सेवा कर्मी या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के नियंत्रण में हो;

(च) "आपात चिकित्सा परिवहन सेवा" का तात्पर्य सभी सचल चिकित्सा इकाइयों एवं चिकित्सा उपस्करों से युक्त चिकित्सा वाहन से है, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में किया जाय।

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसा और सम्पत्ति की क्षति

3—कोई भी जो,—

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करे; या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाए, ऐसे अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

अपराध का संज्ञान

4—धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा।

सम्पत्ति को पहुँचाई गयी क्षति की वसूली

5—(1) धारा 3 के अधीन उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह आदेश दिया जायेगा कि आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को हुई हानि के दोगुने की शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन शास्तिक क्षतिपूर्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1950 की बकाया के रूप में की जायेगी।

अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

6—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

निरसन एवं अपवाद

7-(1) यह उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 2013

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात लायी गयी थी कि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं, जिससे राज्य में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गम्भीर रूप से बाधित हो रही हैं। ऐसे हिंसात्मक कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य में रोकने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि एक कानून बनाकर यह प्रावधान किया जाय कि चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सक, जिसके अन्तर्गत अनन्तिम पंजीकरण धारक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार और ऐसी संस्था में नियोजित एवं कार्यरत कोई व्यक्ति भी है, के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करना तथा चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाया जाना संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध होगा और दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा और यह कि उक्त दण्ड के अतिरिक्त, आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को हुई हानि के दो गुने की शास्ति का दायी होगा।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 मई, 2013 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 2013) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

अहमद हसन,
मंत्री,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण, शिशु कल्याण।